



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब/1772/2026 दिनांक : 10/08/2026

सेवा में,

प्राचार्य,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त

राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-01-2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या की रोकथाम के सम्बन्ध में अनुपालन/कार्रवाई आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/1298/2026-27 दिनांक 10-08-2026 के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10-08-2026 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण एवं आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में अनुपालन/कार्रवाई आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15-01-2026 के आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपने महाविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही/व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय की समेकित एवं प्रमाणित सूचना/अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे विश्वविद्यालय स्तर से समेकित सूचना निर्धारित समय-सीमा में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/शिक्षा निदेशालय को प्रेषित की जा सके। सूचना निर्धारित प्रारूप में पूर्ण, स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित समय-सीमा में सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में विलम्ब के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

संलग्नक: निर्धारित प्रारूप एवं सम्बन्धित निर्देशों की प्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी—कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. उप—कुलसचिव, आवासीय इकाई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक सूचना जारी करते हुए, निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (30शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई - मेल

सेवा में,

समस्त कुलसचिव,
राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/

1298

/2026 - 27

दिनांक - 10/ 08/2026

विषय - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2026 के आदेश में दिए गए निर्देशानुसार 29.07.2026 तक अनुपालन/कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 नं0 5 - 21/2025 - PN.II(Part - III) दिनांक 10.08.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कट करें जिसके माध्यम अवगत कराना है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमित कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 24.03.2025 को अपने फैसले के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. रविंद्र भाट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया है।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.01.2026 के अपने आदेश के माध्यम से सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, नियामक निकायों, उच्च शिक्षण संस्थानों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित और तत्काल कार्रवाई के लिए अनेक निर्देश जारी किए थे।

अब, माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.07.2026 के अपने आदेश के माध्यम से सभी केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित प्रारूप में अनुपालन/कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2026 के आदेश में दिए गए निर्देशानुसार 29.07.2026 तक अनुपालन/कार्रवाई रिपोर्ट

Name of University	Reporting of Student Suicide/Unnatural Death To Police Authorities	Annual Report on Suicide/Unnatural Death to UGC and other Regulatory Bodies	24x7 Access To Qualified Medical Assistance (On Campus/ Within 1 KM)	Filling of All vacant Faculty Positions within 4 Months & Special Recruitment Drives for Reserved Posts	Filling of Key Administrative posts within 4 Months & Annual report Reserved Posts Filled, Vacant and its Reasons, Time Taken, etc.	Backlog of Pending Scholarship Disbursements Cleared within 4 Months. If not, Notice with Reasons within 2 Months	Compliance with UGC Regulations

अतः इस सम्बन्ध में आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 नं0 5 - 21/2025 - PN.II(Part - III) दिनांक 10.08.2026 के सम्बन्ध में अपने विश्वविद्यालय एवं उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की समेकित सूचना/आख्या के आधार पर उक्त निर्धारित प्रारूप पर सूचना एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी की ई - मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 10-08-2026

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),

कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/ 1298 - 1301 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना शासन को प्रेषित करते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रेषण अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
AJIT KUMAR SINGH
Date: 10-08-2026
17:02:09

डॉ0 (अजीत कुमार सिंह)

सहायक शिक्षा निदेशक (उ0शि0),

कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



Rina Sonowal Kouli
Joint Secretary (Higher Education)
Tel no. 011- 24015091
Email: rinasonowal.edu@nic.in



भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
कर्तव्य भवन
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
KARTAVYA BHAVAN
NEW DELHI-110001

D.O. No. 5-21/2025-PN.II (Part-III)

Date: 10th August, 2026

Dear Ma'am / Sir,

As you are aware Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment dated 24.03.2025 in the matter of Amit Kumar & Ors. vs. Union of India & Ors., has constituted a National Task Force (NTF) to address Mental Health concerns of students and prevent the commission of suicides in HEIs under the Chairmanship of Justice (Retd.) S. Ravindra Bhat, Former Judge, Supreme Court of India.

2. Vide its order dated 15.01.2026, Hon'ble Court had inter-alia issued a number of directions for appropriate and immediate action by all State/UT Government, Regulatory Bodies, Higher Educational Institutions and concerned Ministries/Departments. The order was circulated vide my D.O. letter of even number dated 05.02.2026 and OM dated 15.06.2026 for taking necessary action as per the court's directions.

3. Now, vide its order dated 30.07.2026, Hon'ble Court has inter-alia directed all the Union/States/Union Territories to file compliance/action taken reports in the following format :-

Compliance / Action Taken Report as on 29.07.2026 as per the direction passed by Hon'ble Supreme Court in order dated 15.01.2026

Name of State/ UT	Reporting of Student Suicide / Unnatural Death To Police Authorities	Annual Report on Suicide/ Unnatural Death to UGC and other Regulatory Bodies	24x7 Access To Qualified Medical Assistance (On Campus / Within 1 KM)	Filling of All Vacant Faculty Positions within 4 Months & Special Recruitment Drives for Reserved Posts	Filling of Key Administrative Posts within 4 Months and Annual Report Reserved Posts Filled, Vacant and its Reasons, Time Taken, etc.	Backlog of Pending Scholarship Disbursements Cleared within 4 Months. If not, Notice with Reasons within 2 Months	Compliance with UGC Regulations

4. Hon'ble Court has also directed that the compliance affidavit be filed on or before 01.09.2026. It has also been directed that once the compliance affidavits are filed by all the States/Union Territories/Union, one set of all such affidavits be provided to the learned Amicus Curiae well in advance, i.e., well before the matter is to come up on 01.09.2026.

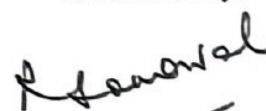
5. In view of the above, I would request you to kindly accord priority on the matter and file affidavit in the Hon'ble Court on or before 01.09.2026 and also provide one set of such filed affidavit to the learned Amicus (Ms. Aparna Bhat, email: - aparna.bhat@gmail.com , ntf-education@gov.in & arpitaanand12@gmail.com) well before 01.09.2026, as per Court's direction.



6. Copies of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 15.01.2026 and 30.07.2026 are enclosed for reference.

With regards,

Yours sincerely,



(Rina Sonowal Kouli)

Encl: As above

ACS / Pr. Secretary / Secretary to Higher & Technical Education, All State / UT Governments

Copy to: Nominated Nodal Officers of States/UTs.

